



भारत निर्वाचन आयोग



भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI)



ECI

- ◊ एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
- ◊ लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- ◊ स्थापना- 25 जनवरी 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान

भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- ◊ 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं
- ◊ कार्यकाल- 6 वर्ष, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- ◊ सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र।
- ◊ मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- ◊ चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- ◊ मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर उसका पुनरीक्षण करना
- ◊ चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- ◊ राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- ◊ राजनीतिक दलों के लिये आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) जारी करना
- ◊ सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना

चुनौतियाँ

- ◊ मुख्य चुनाव आयुक्त का छोटा कार्यकाल
- ◊ नियुक्तियों में कार्यकारी प्रभाव
- ◊ वित्त के लिये केंद्र पर निर्भरता
- ◊ स्वतंत्र स्टाफ की कमी



PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/election-commission-of-india-4>

